निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -140/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**V** वा णज्य कर, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**V** वा णज्य कर, रूड़की के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार एवं श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 06.02.2018 तक श्री वैभव शुक्ला सहायक महालेखाकार के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-**I**

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह .....से .....तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – वा णज्य कर रूड़की
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	-
2015-16	1674.21
2016-17	1848.00

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कर निर्धारण को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**V** वा णज्य कर, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह.....को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन **:-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण ` 9.65 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसुची में सम्मिलित माल से भन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी है|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –V, वाणिज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ज्योति लेबोरेटरी लिमिटेड, रूडकी कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा संगत वर्ष में `1,13,49,015/- की उजाला सुप्रीम की बिक्री 5% की दर से की गयी थी जिसका कर निर्धारण 30.03.2017 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1440 of 2010, M.P Agencies Vs. State of Kerala के वाद में दिनांक 18.03.2015 को दिए गये निर्णय में उजाला सुप्रीम पर कर देयता 12.5% निर्धारित की गई थी|

अत: उजाला सुप्रीम की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से `9,64,666/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था| साथ ही नियामानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा|

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की धारा – 57 के अंतर्गत उजाला सुप्रीम को वैट अधिनियम की अनुसुची II-B की प्रविष्टी संख्या 42 से अच्छादित माना गया है|

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं था|

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया|

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-01 "इनपुट टैक्स क्रेडिट " का रिवर्स न किया जाना ` 0.51 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा – 6(8)(झ) के अनुसार माल कारोबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित किये जाने पर या निशुल्क सैंपल या उपहार के रूप मे वितरित किये जाने की स्थिति मे उस राशि पर दावा की गई धनराशि रिवर्स किये जाने का प्रावधान किया गया है|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –V, वाणिज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री पर्ल प्रोडक्ट इंडिया, रूडकी कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा संगत वर्ष में `34,18,015/- के कच्चे माल एवं पैकिंग मटेरियल का प्रांतीय क्रय किया गया था| जिसपर व्यापारी द्वारा कुल `1,66,072/- के आई.टी.सी. का दावा किया गया था| पत्रावली की जांच मैं पाया गया की व्यापारी को उक्त क्रय पर `10,12,750/- का डिस्काउंट प्राप्त हुआ था| व्यापारी द्वारा उक्त डिस्काउंट की राशि पर भी आई.टी.सी का दावा किया गया था| जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया| इस प्रकार उक्त डिस्काउंट की राशि पर 5% की दर से `50,638/- का आई.टी.सी रिवर्स योग्य था जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था|

उक्त के संबंध में इंगित किये जान पर इक्काई द्वारा बताया गया की "व्यापारी को `10,12,750/- के क्रेडिट नोट ट्रेड डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट के रूप मे प्राप्त हुए|

अत: नियामानुसार उक्त डिस्काउंट पर ITC रिवर्स का मामला नहीं बनता है| इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि इकाई द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया|

अत: प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया गया|

<u>भाग 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपन `4.08 लाख</u>

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा – 10 'ए' के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारी द्वारा केन्द्रीय फार्म – सी के विरुद्ध रियायती दर पर व्यापारी के केन्द्रीय प्रमाण पत्र से अनाच्छादित वस्तुओ की खरीद किये जाने पर उस वस्तु पर आरोपणीय कर का 1.5 गुना अर्थदण्ड आरोपित होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क नि) –V वाणिज्य कर रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ग्लोपैट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में फार्म – सी के विरुद्ध `20,17,104/- का इलेक्ट्रिक आइटम, मोल्ड तथा डोपिंग यूनिट का क्रय रियायती दर पर किया गया था| जबकि केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार व्यौवहारी उक्त वस्तु, प्रपत्र – सी निर्गत करके, प्रान्त बाहर से रियायती दर पर खरीद हेतु अधिकृत नहीं था | अत: केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10 'क' के अंतर्गत `4,08,464/- (20,17,104 X 13.5% X 1.5) अर्थदण्ड आरोपनिय था|
(सूची संलगन)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संदर्भित वस्तुओं को क्रय करने के लिए व्यापारी अधिकृत है| क्योंकि व्यापारी को जारी पंजीयन में उक्त वस्तुओ को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है| इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यापारी की गोपनीय पत्रावली में सलगन पंजीयन प्रमाणपत्र में उक्त वस्तुओ का उल्लेख नहीं किया गया था साथ ही विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया|

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

सर्वश्री ग्लोपेट प्रोटक्टस प्रा0 ल0, कर-नि0 वर्ष-2013-14

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इन्वाइस संख्या	दिनांक	रा श
1.	इलेक्ट्रीक आइटम	917,918,959	05.02.2013 20-02-2013	`6401/-
2.	मोल्ड	0101300588	31.05.2013	`15,55,603/-
3.	मोल्ड	06211330922134	01.04.2013	`1,93,800/-
4.	डो संग यूनिट	GPC/1393	22.03.2011	`1,13,400/-
5.	डो संग यूनिट	389	02.07.2012	`1,47,900/-
			कुल	**`20,17,104/-**

भाग-**III**

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : प्रथम लेखापरीक्षा

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण **:** शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**V** वा णज्य कर, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री धर्मेन्द्र संह	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**V** वा णज्यकर, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र